रजिस्ट्री सं० डी-227

REGISTERED No. D-227

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

22 JUL 1970

No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 2, 1970 (VAISAKHA 12, 1892)

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार मई 2, 1970 (वैशाख 12, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 26 मार्च 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं —

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 26th March 1970:—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	465
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	503
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	35
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	543
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .. .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	1465
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	2051
भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . .	239
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	477
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	169
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	79
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधि-सूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	247
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	69
पूरक संख्या 18—	
25 अप्रैल 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	753
31 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	767

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	465
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	503
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	35
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	543
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including Orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1465
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2051
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	239
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	477
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	169
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	79
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	247
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	69
SUPPLEMENT NO. 18	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 25th April 1970	753
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 31st March 1970 . ..	767

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 मार्च 1970

शुद्धिपत्र

सं० एफ० 15/12/67-एस० डब्ल्यू०-5—कृपया इस विभाग के संकल्प संख्या एफ० 15/12/67-एस० डब्ल्यू०-5, दिनांक 22 दिसम्बर 1969 के वर्तमान पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें :—

"3. बोर्ड की रचना इस प्रकार होगी :—

अध्यक्ष

श्री पी० गोविन्द मेनन
समाज कल्याण मंत्री ।

उपाध्यक्ष

डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह,
समाज कल्याण राज्य मंत्री ।

सदस्य

श्री पी० पी० आई० वैद्यनाथन,
अतिरिक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

श्री एम० सी० नानावती,
सलाहकार, समाज कल्याण, भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

जेल मामलों का कार्य करने वाले गृह मंत्रालय में उप सचिव,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

अपराध मामलों का कार्य करने वाले अन्वेषण के केन्द्रीय ब्यूरो में उप निदेशक,
नई दिल्ली ।

श्री एस० के० श्रीनिवासमूर्ती,
उप विधायी सलाहकार, विधि मंत्रालय,
भारत सरकार ।

श्री एस० बी० भट्टाचार्य,
जेलों के महानिरीक्षक,
पश्चिम बंगाल ।

श्री डी० जे० जाधव,
जेलों के महानिरीक्षक,
महाराष्ट्र ।

श्री ई० एस० सत्रासी,
जेलों के महानिरीक्षक,
तामिलनाडु ।

श्री एच० सी० सक्सेना,
जेलों के महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

श्री एन० जी० पांड्या,
निदेशक, समाज कल्याण,
गुजरात ।

श्री आर० एस० खन्ना,
समाज कल्याण निदेशक,
मध्य प्रदेश ।

श्री के० लक्ष्मण राव,
निदेशक, समाज कल्याण,
मैसूर ।

श्री आर० पी० पुरी,
जेलों के महानिरीक्षक,
पंजाब, चंडीगढ़ ।

श्री जे० जे० पानाकाल,
अपराध-विज्ञान तथा सुधारात्मक,
प्रशासन विभाग के मुख्याधिकारी,
टाटा इंस्टिट्यूट आफ सोशल साइंसेस, बम्बई ।

श्री सुशील चन्द्र,
सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर,
लखनऊ विश्वविद्यालय ।

श्री ए० बी० जोह्न,
निवृत्ति प्राप्त जेलों के महानिरीक्षक,
अर्नाकुलम, कोचीन-15 ।

श्रीमती सीता बसु,
भूतपूर्व अवैतनिक मजिस्ट्रेट,
किशोर न्यायालय, सदस्य, फैक्टरी,
सामाजिक कार्य का दिल्ली स्कूल,
3, यूनिवर्सिटी रोड, दिल्ली-6 ।

सदस्य मंत्री

डा० (श्रीमती) ज्योत्सना एच० शाह,
निदेशक, सुधारात्मक सेवाओं का केन्द्रीय ब्यूरो,
रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि-पत्र की एक-एक प्रतिलिपि समिति के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय मामलों के विभाग, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भेजी जीए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि-पत्र को साधारण सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० पी० आई० वैद्यनाथन्, अतिरिक्त सचिव

वित्त मन्त्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अप्रैल 1970

संकल्प

सं० फा० 34(1)-ई०-V/70—सर्वसाधारण के सूचनार्थ यह घोषणा की जाती है कि सामान्य भविष्य निधि तथा अन्य उसी प्रकार की 10,000 रुपए तक की निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर (जिसमें वर्ष 1970-71 के दौरान जमा की गई तथा निकाली जाने वाली राशियां शामिल हैं), ब्याज की 5.50 प्रतिशत वार्षिक होगी तथा 10,000 रुपए से ऊपर की रकम पर ब्याज की दर 4.80 प्रतिशत वार्षिक होगी । ये दरें 1 अप्रैल 1970 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेंगी । सम्बन्धित निधियां निम्नानुसार हैं :—

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं)
2. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)
3. भारत सचिव सेवाएं (सामान्य भविष्य निधि)
4. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)
5. भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि
6. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
7. भारतीय आयुध निर्माणी विभाग भविष्य निधि ।
8. भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि ।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि
10. अन्य विविध भविष्य निधि (रक्षा)
11. सशस्त्र सेना कर्मचारी भविष्य निधि
12. सैनिक इंजीनियरी सेवा भविष्य निधि
13. भारतीय आयुध निर्माणी कारखानों के श्रमिकों की भविष्य निधि ।
14. अंशदायी भविष्य निधि (रक्षा) ।
15. भारतीय नौसेना गोदी कामगारों की भविष्य निधि ।

2. रेलवे (रेलवे बोर्ड) मंत्रालय द्वारा अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न भविष्य निधियों की शेष जमा पर, सम्बन्धित वर्ष के दौरान लागू ब्याज की दरों के बारे में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

आदेश

3. आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एन० एस० चन्द्रमौलि, अवर सचिव

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 1970

संकल्प

सं० 5(28) धातु/70—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 20 मार्च 1970 को एल्यूमिनियम (नियन्त्रण) आदेश, 1970 जारी किया और तदधीन जारी की गई अधिसूचना के द्वारा विभिन्न उत्पादकों, निर्माताओ और व्यापारियों की विभिन्न मदों के 28 फरवरी 1970 के दिन प्रवर्त्तमान फैक्टरी बाह्य मूल्यों को विभिन्न उपरोक्त उत्पादकों, निर्माताओं और व्यापारियों के एल्यूमीनियम के विक्रय मूल्य को नियत किया है । भारत सरकार ने अब मूल्य निर्धारण नीति से संबंधित विषयों की जांच करने तथा इस संबंध में सरकार को सिफारिशें करने के लिए औद्योगिक लागतें एवं मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष के अधीन एक कार्यकारी वर्ग गठित करने का निश्चय किया है । कार्यकारी वर्ग का संघटन तथा निर्देश पद निम्न प्रकार से होंगे :—

(क) संघटन

अध्यक्ष

(1) श्री एन० एन० वांचू, औद्योगिक लागतें तथा मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष ।

सदस्य

(2) डा० अशोक मित्र, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ।

(3) श्री एन० कृष्णन्, मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय ।

(4) डा० पी० दयाल, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय ।

(5) डा० पी० एन० धर, निदेशक, आर्थिक विकास संस्था, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

सदस्य-सचिव

(6) श्री ए० कृष्णन्, निदेशक, खान तथा धातु विभाग ।

(ख) **निर्देश पद** :

कार्यकारी वर्ग अर्द्ध-उद्योगों सहित एल्यूमिनियम उद्योग के विद्यमान ढांचे की जांच करेगा तथा;

(1) एल्यूमिनियम तथा एल्यूमिनियम उत्पादों की वर्तमान तथा अनुमानित उत्पादन लागत ;

(2) उद्योग के लिए प्रस्तावित विकास तथा विभिन्न उत्पादकों के विस्तार कार्यक्रम ;

(3) अर्थ-व्यवस्था मे महत्व के संदर्भ मे उपभोक्ता उद्योगो की आवश्यकताए ;

(4) अध्ययन से संबधित कोई अन्य विषय को ध्यान मे रख कर ;

विभिन्न उत्पादो के विक्रय मूल्यो तथा उनके सबध मे अनुसरण की जाने वाली मूल्य-निर्धारण एव वितरण नीति के सबध मे, यथा सभव शीघ्रता के साथ, उपयुक्त सिफारिशे करेगा ।

आदेश

आदेश दिया कि यह सकल्प सभी राज्य सरकारो, भारत सरकार के विभिन्न मत्रालयो, प्रधान मत्री सचिवालय, मत्रिमंडल सचिवालय, ससद् सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा मिलिटरी सचिव, योजना आयोग, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, भारत के नियन्त्रक तथा महापरीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध को सम्प्रेषित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया कि यह सकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए ।

महेन्द्र स्वरूप भटनागर, अवर सचिव

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 26 मार्च 1970

संकल्प

विषय—सरकारी क्षेत्र के उद्योगो को 1965-66 तथा 1966-67 की अवधि मे कार्य हेतु दिया जाने वाला राष्ट्रपति-पुरस्कार

स० प्रो० को० 28(1)/67—भारत सरकार के सकल्प स० प्रो० को० 28(1)/68, दिनाक 9 अगस्त 1968, दिनाक 20 जनवरी 1969 तथा दिनाक 26 सितम्बर 1969 मे स्थापित सरकारी क्षेत्र के उद्योगो की राष्ट्रपति पुरस्कार समिति ने, भारत सरकार के सकल्प स० प्रो० को० 28 (1)/67, दिनाक 10 जून 1967 (24 जून 1967 का भारत के राजपत्र में प्रकाशित) तथा सं० प्रो० को० 28 (2)/68 दिनाक 19 सितम्बर, 1968 (12 अक्तूबर, 1968 को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित), मे अधिसूचित सरकारी क्षेत्र के पात्र औद्योगिक उपक्रमो के 1965-66 तथा 1966-67 के कार्य पर विचार किया है और निम्नलिखित पुरस्कार की सिफारिश की है —

पुरस्कार का ब्यौरा 1965-66	जिसको पुरस्कार दिया गया
1 **चांदी तथा तांबे की शील्ड** (योग्यता के प्रमाण-पत्र के लिए चुना गया सबसे अच्छा उपक्रम) ।	1. हिन्दुस्तान ऐंटीबिआटिक्स लि० पिम्परी (पूना के समीप) ।
2. योग्यता का प्रमाण-पत्र (ताबे का प्लेट) । (विशिष्ट सम्पादन हेतु)	2. हिन्दुस्तान ऐंटीबिआटिक्स लि० पिम्परी (पूना के समीप) ।
	3 हिन्दुस्तान इसेक्टीसाइड्स लि०, नई दिल्ली ।
	4 हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०, मद्रास ।

पुरस्कार का ब्यौरा 1966-67	जिसको पुरस्कार दिया गया
1 **चांदी तथा तांबे की शील्ड** (योग्यता के प्रमाण-पत्र के लिए चुना गया सबसे अच्छा उपक्रम) ।	1. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लि०, बगलौर ।
2 योग्यता का प्रमाण-पत्र (ताबे की प्लेट) (विशिष्ट सम्पादन हेतु) ।	2 इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लि०, बगलौर ।
	3 हिन्दुस्तान ऐंटीबिआटिक्स लि०, पिम्परी (पूना के समीप)
	4 मैंगनीज़ ओर (इण्डियन) लि०, नागपुर ।

2. भारत सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशे स्वीकार की है ।

आदेश

आदेश दिया गया कि सकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यो और सम्बन्धित उपक्रमो को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एन० जे० कामत, सयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनाक 31 मार्च 1970

संकल्प

सं० एस० एस० आई० (सी)-18(7)/69—भारत सरकार ने 22 जनवरी 1968 को लघु उद्योग विकास सगठन के अधीन हैदराबाद मे "सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिज़ाइन" नामक एक सस्थान की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी कर्मचारियो को डिज़ाइन तैयार करने तथा औज़ार बनाने, डाइज़ तथा मोल्ड्स आदि मे प्रशिक्षण देना है । यह सस्थान, औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के लघु उद्योग विकास सगठन के अधीन केन्द्रीय सरकार के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप मे कार्य कर रहा है ।

2 भारत सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि संस्थान को एक स्वायत्तशासी सगठन के माध्यम से प्रशासित किया जाना चाहिए । इस प्रकार का एक संगठन जिसका नाम "सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिज़ाइन, हैदराबाद" है, आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) सार्वजनिक सगठन पजीकरण अधिनियम 1350 फसली (1350 फसली के अधिनियम 1) के अधीन पजीकृत किया गया है । "सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ डिज़ाइन", हैदराबाद के सभी कार्यों को 31 मार्च 1970 के अपराह्न से "सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिज़ाइन, हैदराबाद", नामक संगठन द्वारा अपने अधिकार मे ले लिया जाएगा और संस्थान 31 मार्च 1970 के अपराह्न से केन्द्रीय सरकार के लघु उद्योग विकास संगठन का अधीनस्थ कार्यालय नही रहेगा ।

3. सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिज़ाइन, हैदराबाद के कार्यों का प्रबन्ध एक शासकीय परिषद् के हाथों में होगा, जिसके प्रथम सदस्य ये है :—

अध्यक्ष

1. श्री के० एल० नंजप्पा,
विकास अयुक्त,
लघु उद्योग, नई दिल्ली ।

सदस्य

2. डा० राम के० वेपा,
उप-सचिव, औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय ।

3. श्री ए० आर० शंकरनारायणन,
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय ।

4. श्री डी० वी० नरसिंहन,
उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी शिक्षा),
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

5. श्री एम० एम० वाडी,
वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय ।

6. श्री टी० एल० शंकर,
उद्योग निदेशक, आन्ध्र प्रदेश सरकार,
हैदराबाद ।

7. श्री वी० आर० रेड्डी,
प्रबन्धक निदेशक, मे० कृषि इंजिन (प्रा०) लि०,
सनतनगर हैदराबाद ।

8. श्री विश्वनाथ राव,
उद्योगपति, सहकारी औद्योगिक बस्ती,
बालनगर, हैदराबाद ।

9. श्री जी० सी० मुकर्जी,
प्रबन्ध निदेशक,
प्राग टूल लि०,
सनत नगर, हैदराबाद ।

10. अध्यक्ष,
वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ आन्ध्र प्रदेश,
हैदराबाद ।

11. महाप्रबन्धक,
मे० हिन्दुस्तान स्टील मशीन टूल्स लि०,
हैदराबाद डिवीजन, हैदराबाद (आ० प्र०) ।

12. अध्यक्ष,
आन्ध्र प्रदेश लघु उद्योग संघ,
विजयवाड़ा (आ० प्र०) ।

13. श्री एम० एस० गरुड़ाचार,
निदेशक,
उन्नत प्रशिक्षण संस्थान,
श्रम, रोज़गार तथा पुनर्वास मन्त्रालय,
गिंडी, मद्रास-32 ।

14. यू० एन० चीफ आफ प्रोजेक्ट,
टूल डिज़ाइन का केन्द्रीय संस्थान,
हैदराबाद-37 ।

15. श्री पी० नरसैया,
प्रधान निदेशक,
टूल डिज़ाइन का केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद ।

शासकीय परिषद् का प्रथम अवस्था का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

संकल्प

दिनांक 31 मार्च 1970

स० एम० एस० आई० सी०-18(8)/69—भारत सरकार ने 7 फरवरी 1968 को लघु उद्योग विकास सगठन के अधीन बम्बई मे इन्स्टीट्यूट फोर डिज़ाइन आफ इलेक्ट्रीकल मेज़रिंग इन्स्ट्रूमेंट्स नामक एक सस्थान की स्थापना डिज़ाइन तैयार करने तथा बिजली के मापने वाले यन्त्रो का विकास करने और इन क्षेत्रो मे प्रशिक्षण देने के मुख्य उद्देश्य से की है । यह सस्थान, औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के लघु उद्योग विकास सगठन के अन्तर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप मे कार्य कर रहा है ।

2. भारत सरकार ने अब निश्चय किया है कि सस्थान को एक स्वायत्तशासी संगठन के माध्यम से प्रकाशित किया जाना चाहिए । इस प्रकार का एक सगठन, जिसका नाम "इन्स्टीट्यूट फोर डिज़ाइन आफ इलेक्ट्रीकल मेज़रिंग इन्स्ट्रूमेंट्स बम्बई" है, सगठन पजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किया गया है । "इन्स्टीट्यूट फोर डिज़ाइन आफ इलैक्ट्रीकल मेज़रिंग इन्स्ट्रूमेंट्स" बम्बई के सभी कार्यों को 31 मार्च 1970 के अपराह्न से इन्स्टीट्यूट फोर डिज़ाइन आफ इलैक्ट्रीकल मेज़रिंग इन्स्ट्रूमेंट्स, बम्बई की समिति द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जाएगा और संस्थान 31 मार्च 1970 के अपराह्न से लघु उद्योग विकास संगठन का एक अधीनस्थ कार्यालय नही रहेगा ।

3. "इन्स्टीट्यूट फोर डिज़ाइन आफ इलैक्ट्रीकल मेज़रिंग इन्स्ट्रूमेंट्स के कार्यों का प्रबन्ध एक शासकीय परिषद् के हाथो मे होगा, जिसके प्रथम सदस्य ये होगे :—

अध्यक्ष

1. श्री के० एल० नंजप्पा,
विकास आयुक्त, लघु उद्योग,
नई दिल्ली ।

सदस्य

2. डा० राम के० बेपा,
उप-सचिव,
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) ।

3. श्री ए० आर० शंकरनारायणन,
निदेशक, आन्तरिक वित्त,
औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय,
(औद्योगिक विकास विभाग) ।

4. श्री एम० एम० वाडी,
वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

5. श्री एम० आर० उपसानी,
निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान,
बम्बई-72 ।

6. भारतीय मानक संस्था का एक प्रतिनिधि,
नई दिल्ली ।

7. श्री डी० वी० नरसिंहन,
उप-शिक्षा सलाहकार (तकनीकी शिक्षा),
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ।

8. श्री आर० एन० कुलकर्णी,
प्रधानाचार्य,
प्रशिक्षकों का केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान,
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय,
कुरला, बम्बई ।

9. डा० एम० एन० देसाई,
उद्योग आयुक्त, महाराष्ट्र सरकार,
बम्बई ।

10. भारत के लघु उद्योग मण्डल संघ का एक प्रतिनिधि,
नई दिल्ली ।

11. अखिल भारतीय निर्माता संगठन का एक प्रतिनिधि,
बम्बई ।

12. अखिल भारतीय यंत्र विक्रेता तथा निर्माता संघ का एक प्रतिनिधि,
बम्बई ।

13. श्री डब्ल्यू० एफ० मैसन,
मुख्य सलाहकार,
इन्स्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रीकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स,
बम्बई ।

14. श्री आर० एन० गांधी,
प्रधान निदेशक,
इन्स्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रीकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स,
बम्बई ।

शासकीय परिषद् का कार्यकाल प्रथम बार एक वर्ष का होगा ।

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० बालचन्द्रन, अतिरिक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

कृषि विभाग

भा०कृ०अनु०प०

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 1970

सं० 29-1/69-समन्वय(1) भा० कृ० अनु० प०—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 29-1/69-समन्वय(1) भा० कृ० अनु० प०, दिनांक 16 सितम्बर 1969 के सिलसिले में डा० पी० के० सेन, डीन, कृषि निकाय तथा खेरा कृषि प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कृषि शिक्षा की स्थायी समिति में, 4 मार्च 1970 से 7 जुलाई 1972 तक बनारस विश्वविद्यालय के कृषि निकाय के डीन डा० आर० एस० चौधरी, जिन्होंने विश्वविद्यालय की सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिया है, के स्थान पर अपने प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है ।

एम० आर० कोल्हटकर, उप सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 1970

संकल्प

सं० एफ० 16(35)/69-सी० ए०-II/3—तीन राष्ट्रीय अकादमियों एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के कार्यों के पुनरीक्षण के लिए भारत सरकार के दिनांक 19 फरवरी 1970 के संकल्प सं० एफ० 16(35)/69-सी० ए०-II/3 के द्वारा स्थापित पुनरीक्षण समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. न्यायाधीश श्री जी० डी० खोसला

सदस्य

2. श्री अमृत नहाटा, संसद्-सदस्य

3. प्रो० हिरेन्द्र नाथ मुखर्जी, संसद्-सदस्य

4. श्री डी० एन० तिवारी, संसद्-सदस्य

5. श्री लोकनाथ मिश्र, संसद्-सदस्य

6. प्रो० सैयद नूरुलहसन, संसद्-सदस्य

7. डा० नारायण मेनन, निदेशक,
अभिनय कला का राष्ट्रीय केन्द्र,
बम्बई

8. श्री शाम लाल, सम्पादक,
टाइम्स आफ इंडिया ।

9 प्रो० ए० के० नारायण, कला सकाय के डीन,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ।

10 श्री उमा शकर जोशी, कुलपति,
गुजरात विश्वविद्यालय ।

2 उपर्युक्त सकल्प के पैरा 1 की सख्या '14' के स्थान पर सख्या '10' प्रतिस्थापित किया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक प्रति ससदीय कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचनार्थ संकल्प को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए ।

ए० बी० चन्दीरमानी, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनाक 16 अप्रैल 1970

संकल्प

स० 8-पी० जी०(28)/70—बबई पत्तन की 1968-69 की प्रशासनिक रिपोर्ट भारत सरकार को प्राप्त हो गई है । रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बाते नीचे दी जा रही है ।

2. वित्तिय स्थिति

पुनरीक्षित लेखा पद्धति के अनुसार इस वर्ष पत्तन का कुल 2292.88 लाख रुपए की आय हुई, जब कि गत वर्ष 2548.83 लाख रुपए की आय हुई थी । 255.95 लाख रुपए की कमी होने का मुख्य कारण कुछ पिछली प्राप्तियो को गत वर्ष मे आवटित करना, विलम्ब शुल्क मे कमी और पत्तन पर कम जहाजो के आने के फलस्वरूप कनहारी शुल्क से कम आय का होना था ।

पुनरीक्षित लेखा पद्धति के अनुसार कुल व्यय 1876.07 लाख हुआ । इसके विपरीत गत वर्ष व्यय राशि 1974.48 रुपए थी । व्यय मे 98.41 लाख रुपए की कमी का कारण मार्च 1968 के वेतनो और अन्य नए खर्च का 1967-68 के बिल मे करना, पुराने और विवादास्पद बिलो के लिए 1967-68 में व्यवस्था करना और 1968-69 मे ऐतिहासिक लागत आधार पर व्यवस्था करना, जब कि गत वर्ष मे नवीकरण तथा प्रतिस्थापन निधि मे अशदान तदर्थ आधार पर किया गया था ।

31 मार्च 1969 का तुलन-पत्र उस पुनरीक्षित फार्म पर तैयार किया गया जो उन सिद्धान्तो पर आधारित है जिनका सामान्य-रूप से वाणिज्यिक कपनियां अपने आय तथा देयताओ के हिसाब-किताब मे पालन करती हैं । विभिन्न अतिशेष जो पहले देयता की और पूजीगत लेखा मे दिखाए जाते थे, नवीकरण तथा प्रतिस्थापन और कनहारी मूल्य ह्रास निधियो सहित, तीन शीर्षों मे वर्गीकृत किए गए हैं, अर्थात् पूजीगत आरक्षण "पूजीगत परिसंपत्ति प्रतिस्थापन आरक्षण" और "पजीगत परिसपत्ति का मूल्य ह्रास" । इन खातो मे 31 मार्च 1969 को अतिशेष क्रमश 41 26 करोड़ रुपए, 11.42 करोड रुपए और 21.94 करोड रुपए था । 31 मार्च 1969 का पूजीगत परिसपत्ति की लागत 72 18 करोड रुपए थी । अन्य अतिशेष जो सामान्य अथवा विशिष्ट प्रयोजनो के लिए थे, (1) सामान्य आरक्षण निधि मे 271953 लाख रुपए, (2) अग्नि तथा मोटर बीमा निधि मे 17 13 लाख रुपए और (3) कनहारी आरक्षण निधि मे 13 56 लाख रुपए थे । 31 मार्च 1969 को आगे के लिए पूजीगत परिव्यय के लिए 26 29 करोड रुपए का निवल अतिशेष रहा ।

12 32 करोड रुपए की बाकी ऋण राशि मे से 4.49 करोड रुपए गैर-सरकारी ऋण और 6 96 करोड रुपए सरकारी ऋण है, बाकी 0 87 करोड रुपए का आतरिक ऋण है जो ट्रस्टियो का ऋण है । ट्रस्टियो ने सामान्य शोधन निधि मे 5.66 करोड रुपए और निलबित खाते मे 2 55 करोड रुपए की अतिशेष राशि समुद्री तेल टरमिनल के लिए सरकार से लिए गए ऋण को चुकाने के लिए जमा की है ।

यातायात

1968-69 में इस पत्तन पर 164 लाख कुल टन भार की धराउठाई हुई, जिसमे से 121 कुल टनभार आयात-माल और 43 लाख कुल टनभार निर्यात माल था ।

गत वर्ष मे आयात और निर्यात की सख्याए क्रमश 124 5 लाख टन और 45 2 लाख टन थी, अर्थात् कुल मिला कर 169 70 लाख टन । इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पत्तन ने कुल 5.60 लाख टन माल की धराउठाई की ।

4 पोत परिवहन

1968-69 मे इस पत्तन पर आने वाले जहाजो की सख्या 2,769 थी, जो कुल 190 लाख जी० आर० टी० माल लाए । इसके विपरीत 1967-68 मे 2,768 जहाज आए तथा कुल 200 लाख टन माल लाए थे । विचाराधीन वर्ष मे पत्तन पर आने वाले पोतो मे 48,909 कुल टनभार वाला मोबाइल लिया नामक पोत था ।

1968-69 मे 31,756 पाल पोत पत्तन पर आए, इसके विपरीत 1967-68 मे 30,963 पोल पात आए थे ।

1968-69 मे 98 जहाजो ने निर्जलीय गोदियो का प्रयोग किया, जलीय गोदियो मे मरम्मत के लिए 60 जहाज ठहरे ।

5. निर्माण कार्य

पूजीगत खाते पर कुल 899.56 प्लाख रुपए खर्च हुए । 1968-69 मे जिन निर्माण-कार्यों पर व्यय हुआ, उनमे से कुछ महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए जा रहे हैं .—

क्र० स०	वर्णन	1968-69 मे हुआ व्यय रुपए
1.	पुराने आटाप गाव मे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के क्वार्टरो का निर्माण (1560 क्वार्टर) 39 ब्लाक	34,86,900

2. पत्तनन्यास के कर्मचारियों के लिए

अस्पताल——	
(1) भवन . . .	18,93,200
(2) फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि	23,71,400
3. एस० ए० एच० 'पानवेल' को प्रतिस्थापित करने के लिए एक ट्विनस्क्रू डीज़ल प्राप्पल्ड एंकर होड कम-सालवेज एवं वाटर वोट 'इंदिरा' की खरीद .	23,67,100
4. तिरती क्रेन सारस को प्रतिस्थापित करने के लिए 125-टन तिरती क्रेन "श्रीवन" की खरीद . . .	24,82,000
5. 9 टगो (4 हारबर तथा 5 डाक—2 बड़े और 3 छोटे)—2 बड़े अतिरिक्त टगों (रमेश तथा रनजीत) की खरीद .	21,35,500
6. टग सूखी गोदी कैसन नं० 1 और 2 की विशिष्ट मरम्मत . . .	19,85,000
7. टग सूखी गोदी पंपिग स्टेशन पर बिजली लगाना	25,61,200
8. गोदी विस्तार योजना—1962 .	4,37,20,300
9. वल्लार्ड पायर विस्तार तथा यात्री व माल टरमिनल इमारत तथा अन्य सेवाएं	1,14,89,200
10. मुख्य बन्दरगाह जलभाग का निकर्षण (क्रम 3) . . .	18,51,400

पत्तन न्यास रेलवे

जैसा कि निम्न सारणियों में दिया गया है, 1967-68 की तुलना में ट्रंक यातायात की मात्रा में कमी हुई :

डब्बे

	आवक	जावक	टन
1967-68 .	98,459	138,403	4,342,000
1968-69 .	90,955	105,434	3,562,300

1967-68 और 1968-69 में बंबई पत्तन न्यास रेलवे के कार्यकरण परिणाम नीचे दिए जा रहे हैं :—

रेलवे के राजस्व	व्यय	(रुपए लाखों में) अधिशेष (+) घाटा (—)
1967-68 . 191.25	259.79	(—) 68.54
1968-69 . 171.33	236.39	(—) 65.06

पुनरीक्षित पद्धति के अंतर्गत आय और व्यय की मदों के पुनर्वर्गीकरण के कारण संख्याओं की ठीक तरह से तुलना नहीं की जा सकती है । तथापि 1968-69 में वित्तीय स्थिति में कुछ सुधार हुआ । आय में 20 लाख रुपए की कमी हुई, जो मुख्यत: विचाराधीन वर्ष तथा गत वर्ष की चुंगी में और विविध आय में हुई भाड़े और ढुलाई प्रभार में 23-9-1968 से दर-पुनरीक्षण के कारण हुई वृद्धि से आंशिक रूप में पूरी हो गई । व्यय 23 लाख रुपया अधिक हुआ, मुख्य मदें ये थीं—इंजिनों, वैगनों, स्टेशनों यार्डों और साइडिंग, इत्यादि का परिचालन तथा अनुरक्षण था, यह वृद्धि मुख्यत: लेखा-पद्धति में परिवर्तन कर पुनरीक्षित लेखा पद्धति लागू करने के फलस्वरूप 1967-68 में 13 महीनों की मजदूरी शामिल करने के कारण हुई ।

7. पोतपरिवहन का विराम काल और जहाजों में माल लादने/उतारने की गति :

वर्ष 1968-69 में गोदियों को प्रयुक्त करने वाले जहाजों की सबसे अधिक संख्या 31 जनवरी 1969 को समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान 111 थी । इस पखवाड़े में औसत विराम काल 4.2 दिन रहा, जब कि 30 जून 1968 को समाप्त हुए पखवाड़े, जब 73 जहाजों ने गोदियों को प्रयुक्त किया, में विरामकाल 6.8 दिन रहा ।

1967-68 और 1968-69 में जहाजों में माल लादने/उतारने की तीव्रतम गतियां नीचे दी जा रही हैं :—

टनों में

	विरामकाल के प्रत्येक दिन की तीव्रतम औसत गति	
	1967-68	1968-69
माल उतारना (आयात) .	2,971	3,003
माल लादना (निर्यात) .	3,419	3,055

कार्य-दर योजना के अंतर्गत धराउठाई किया गया माल 1968-69 के आंकड़े से 119 प्रतिशत अधिक रहा ।

8. संपत्ति विभाग :

संपत्ति विभाग के क्षेत्राधिकार के अधीन के भवनों तथा भूमि से कुल मिला कर 206.72 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जब कि 1967-68 में यह राशि 329.90 लाख रुपए थी । कमी मुख्यत: इन कारणों से हुई—गत वर्ष में गैर-सरकारी पार्टियों से पुराने बकाए की वसूली विविध जमा लेखे की राशियों का समंजन और पुराने बकाया के बिलों का लेखा पुनरीक्षित लेखा पद्धति से करना ।

9. श्रम

22 हड़तालें हुईं जो अधिकांश मामलों में कुछ घंटों की और एक मामले में दस दिन की हुई ।

पत्तन न्यास से कल्याण उपायों में अनेक प्रकार के कार्यकलाप आते हैं, अर्थात् खेल, मनोविनोद, विभिन्न मनोरंजन लघु विनोद-यात्रा, छात्रवृत्तियां, कंटीनें, सामान्य चिकित्सा, महिला निदान-शालाएं, वाचनालय और पुस्तकालय इत्यादि । राजस्व से कर्मचारी कल्याण निधि को 3.79 लाख रुपए का अंशदान दिया गया ।

10. अमला

1968-69 में अमला पर कुल मिला कर 1193.91 लाख रुपए व्यय किए गए । गत वर्ष यह राशि 1225.41 लाख रुपए थी । अप्रैल 1968 में देय मार्च 1968 के वेतन व मजदूरियों का,

लेखा 1967-68 के लेखों में करने के कारण 32.50 लाख रुपए की कमी हुई।

1968-69 में चिकित्सा सहायता पर कुल मिला कर 24.93 लाख रुपए खर्च हुए, जब कि गत वर्ष 16.60 लाख रुपए खर्च हुए थे।

11. **अभिस्वीकृति :**

पत्तन न्यास बोर्ड ने उपयोगी कार्य कर एक और वर्ष पूरा किया और भारत सरकार इस कार्य को संतोषजनक मानती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्धों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

के० नारायणन, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1 the 12th March 1970

CORRIGENDUM

No. F. 15/12/67-SW.5.—Please substitute the following for the existing para 3 of this Department Resolution No. F.15/12/67-SW.5, dated the 22nd December, 1969 :—

"3. The composition of the Board will be as follows :—

Chairman

Shri P. Govinda Menon, Minister for Social Welfare.

Vice-Chairman

Dr. (Smt.) Phulrenu Guha, Minister of State for Social Welfare.

Members

Shri P. P. I. Vaidyanathan, Additional Secretary, Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.

Shri M. C. Nanavatty, Adviser, Social Welfare, Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.

Deputy Secretary, in the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi dealing with Jail Affairs.

Deputy Director in the Central Bureau of Investigation, New Delhi, dealing with crime matters.

Shri A. K. Srinivasamurthy, Deputy Legislative Counsel, Ministry of Law, Government of India.

Shri S. B. Bhattacharjya, Inspector General of Prisons, West Bengal.

Shri D. J. Jadhav, Inspector General of Prisons, Maharashtra.

Shri E. I. Stracey, Inspector General of Prisons, Tamil Nadu.

Shri H. C. Saxena, Inspector General of Prisons, Uttar Pradesh.

Shri N. G. Pandya, Director, Social Welfare, Gujarat.

Shri R. S. Khanna, Director of Social Welfare, Madhya Pradesh.

Shri K. Laxaman Rao, Director, Social Welfare, Mysore.

Shri R. P. Puri, Inspector General of Prisons, Punjab, Chandigarh.

Shri J. J. Panakal, Head of Department of Criminology and Correctional Administration, Tata Institute of Social Sciences, Bombay.

Shri Sushil Chandra, Prof. of Sociology, University of Lucknow.

Shri A. V. John, Retd. Inspector General of Prisons, Eranakulam, Cochin-15.

Smt. Sita Basu, Former Hony. Magistrate, Juvenile Court, Member, Faculty, Delhi School of Social Work, 3, University Road, Delhi-6.

Member-Secretary

Dr. (Smt.) Jyotsna H. Shah, Director, Central Bureau of Correctional Services, Ramakrishnapuram, New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this corrigendum be sent to all the Members of the Committee, all Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Chief Secretaries of State Governments/Union Territories.

ORDERED also that the corrigendum be published in the Gazette of India for general information.

P. P. I. VAIDYANATHAN, Additional Secy.

MINISTRY OF FINANCE

Department of Expenditure

RESOLUTION

New Delhi-2, the 18th April 1970

No. F.34(1)-E.V/70.—It is announced for general information that accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds up to Rs. 10,000 (inclusive of deposits and withdrawals during the year 1970-71) will carry interest at 5.50 per cent per annum and the interest rate of 4.80 per cent per annum will apply to sums in excess of Rs. 10,000. These rates will be in force during the financial year beginning on the 1st April, 1970. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The General Provident Fund (Defence Services).
3. The Secretary of State's Services (General Provident Fund).
4. The Contributory Provident Fund (India).
5. The Indian Civil Service Provident Fund.
6. The All India Services Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
8. The Indian Civil Service (N.E.M.) Provident Fund.
9. The Defence Services Officers' Provident Fund.
10. Other Miscellaneous Provident Fund (Defence).
11. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
12. The Military Engineering Services Provident Fund.
13. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
14. The Contributory Provident Fund (Defence).
15. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.

2. Necessary instructions will be issued separately by the Ministry of Railways (Railway Board) concerning the rates of interest applicable during the year, in question, to the balances in the various Provident Funds under the control of that Ministry.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

N S. CHANDRAMOWLI, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS AND MINES & METALS

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, the 10th April 1970

No. 5(28)Met/70—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act 1955 (10 of 1955) the Central Government issued on 20-3-1970 the Aluminium (Control) Order 1970 and have by a notification issued thereunder fixed the sale prices of aluminium of the different producers, manufacturers or dealers at the ex-factory prices of the different items of the said producers, manufacturers or dealers prevailing on 28-2 1970 The Government of India have now decided to constitute a Working Group functioning under the Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices, to look into the matters relating to the pricing policy and make recommendations to Government on the subject The composition and terms of reference of the Working Group will be as follows :—

(A) *Composition*

Chairman

(i) Shri N. N Wanchoo, Chairman of the Bureau of Industrial Costs and Prices.

Members

(ii) Dr. Ashok Mitra, Chief Economic Adviser to Government of India

(iii) Shri N. Krishnan, Chief Cost Accounts Officer, Ministry of Finance.

(iv) Dr. P Dayal, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development.

(v) Dr. P N. Dhar, Director, Institute of Economic Growth, Delhi University, Delhi

Member-Secretary

(vi) Shri A. Krishnan, Director, Department of Mines & Metals.

(B) *Terms of Reference*

The Working Group will examine the existing structure of the aluminium industry, including semi-industries and having regard to

(i) the present and estimated cost of production of aluminium and aluminium products,

(ii) the growth envisaged for the industry and the expansion programmes of different producers,

(iii) the needs of the user industries in the context of their importance in the economy, and

(iv) any other items germane to the study,

make suitable recommendations, as quickly as possible, regarding the selling prices for different products, as also on the pricing and distribution policy which might be followed in relation thereto

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, the several Ministries of Government of India, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President the Planning Commission, the Directorate General of Technical Development, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant-General, Commerce, Works and Miscellaneous

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M S BHATNAGAR, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 26th March 1970

RESOLUTION

Subject:—Presidential Awards to the Public Sector Industries for performance during 1965-66 and 1966-67.

No. Pr. C. 28(1)/67——The committee for Presidential Awards for Public Sector Industries set up in the Government of India Resolutions No. Pr. C. 28(1)/68, dated the 9th August 1968, dated the 20th January, 1969 and dated the 26th September, 1969, has considered the performance during 1965-66 and 1966-67 of the eligible Public Sector Industrial Undertakings notified in the Government of India Resolutions No. Pr. C. 28(1)/67, dated the 10th June, 1967 (published in the Gazette of India on 24th June, 1967) and No. Pr. C. 28(2)/68, dated the 19th September, 1968 (published in the Gazette of India on 12th October, 1968) and recommended the following Awards:-

Details of Awards 1965-66	To whom awarded
1. *Shield in Silver & Copper* (best of the Undertakings selected for Certificate of Merit).	(i) Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri (Near Poona).
2. Certificate of Merit (Copper Plates) (For outstanding performance).	(ii) Hindustan Antibiotics Ltd., Pimpri (Near Poona). (iii) Hindustan Insecticides Ltd., New Delhi. (iv) Hindustan Teleprinters Ltd., Madras.

Details of Awards 1966-67	To whom awarded
1. *Shield in Silver & Copper* (Best of the Undertakings selected for Certificate of Merit).	(i) India Telephone Industries Ltd., Bangalore.
2. Certificate of Merit (Copper Plate) (For outstandinng performance).	(ii) Indian Telephone Industries Ltd., Bangalore (iii) Hindustan Antibiotict Ltd, Pimpri (Near Poona). (iv) Manganese Ore (India) Ltd., Nagpur.

2. The above recommendations have been accepted by the Government of India.

ORDER

It is ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the members of the Committee and to the Undertakings concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. J. KAMATH, Joint Secy.

RESOLUTIONS

New Delhi, the 31st March 1970

No SSI(C)-18(7)/69.—The Government of India had established an Institute by the name of "Central Institute of Tool Design", at Hyderabad on the 22nd January. 1968, under the Small Scale Industries Development Organisation with the main objective of providing training of technical personnel in designing and making tools, dies and moulds etc. This Institute has been functioning as a subordinate office of the Central Government under the Small Scale Industries Development Organisation of the Department of Industrial Development in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.

2. It has since been decided by the Government of India that the Institute should be administered through an autonomous Society. Such a Society has been registered under

the Andhra Pradesh (Telangana Area) Public Societies Registration Act, 1350 Fasli (Act 1 of 1350 Fasli), under the name and style of "Central Institute of Tool Design, Hyderabad". All the functions of the "Central Institute of Tool Design" will be taken over by the Society known as the "Central Institute of Tool Design", Hyderabad with effect from the afternoon of 31st March, 1970 and the Central Institute of Tool Design, Hyderabad will cease to function as a Central Government office, under the Small Scale Industries Development Organisation from the afternoon of the 31st March, 1970.

3. The management of the affairs of the Central Institute of Tool Design, Hyderabad has been entrusted to a Governing Council of which the first members are :

Chairman

1. Shri K. L. Nanjappa, Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi.

Members

2. Dr. Ram K. Vepa, Deputy Secretary, Ministry of Industrial Development, Internal Trade & Company Affairs.
3. Shri A. R. Sankaranarayanan, Internal Financial Adviser, Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.
4. Shri D. V. Narashimham, Deputy Educational Adviser, (Technical Education), Ministry of Education & Youth Services, Shastri Bhavan, New Delhi.
5. Shri M. M. Vadi, Senior Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.
6. Shri T. L. Shankar, Director of Industries, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad.
7. Shri V. R. Reddy, Managing Director, M/s Krishi Engines (P) Ltd., Sanathnagar, Hyderabad.
8. Shri A Vishwanatha Rao, Industrialist, Cooperative Industrial Estates, Balanagar, Hyderabad-37.
9. Shri G. C. Mukerjee, Managing Director, Praga Tools Ltd., Sanathnagar, Hyderabad.
10. President, Federation of Andhra Pradesh Chamber of Commerce and Industry, Hyderabad.
11. General Manager, M/s Hindustan Machine Tools Ltd., Hyderabad Division, Hyderabad, (A.P.).
12. President, Andhra Pradesh Small Scale Industries Association, Vijayawada, (A.P.).
13. Shri M. S. Garudachar, Director, Advanced Training Institute, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Guindy, Madras-32.
14. U.N. Chief of Project, Central Institute of Tool Design, Hyderabad-37.
15. Shri P. Narsiah, Principal Director, Central Institute of Tool Design, Hyderabad.

The Governing Council shall remain in office for a period of one year in the first instance.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. SSI(C)-18(8)/69.—The Government of India had established an Institute by the name "Institute for Design of Electrical Measuring Instruments" at Bombay under the Small Scale Industries Development Organisation on the 7th February, 1968 with the main objective of designing and developing Electrical Measuring Instruments and imparting training in these fields. This Institute has been functioning as a subordinate office under the Small Scale Industries Development Organisation of the Department of Industrial Development, Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs.

2. It has since been decided by the Government of India that the Institute should be administered through an autonomous Society. Such a Society has been registered under the Societies Registration Act 1860, under the name and style of "Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Bombay." All the functions of the Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Bombay, will, with effect from the afternoon of 31st March, 1970, be taken over by the Society for the Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Bombay and the Institute will cease to function as a sub-ordinate office of the Small Scale Industries Development Organisation from the afternoon of the 31st March, 1970.

3. The management of the affairs of the Institute for Design of Electrical Measuring Instruments will be entrusted to a Governing Council of which the first members will be :—

Chairman

1. Shri K. L. Nanjappa, Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi.

Members

2. Dr. Ram K. Vepa, Deputy Secretary, Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs, (Department of Industrial Development), New Delhi.
3. Shri A. R. Sankarnarayanan, Director, (Internal Finance), Ministry of I.D., I.T. & C.A., (Department of Industrial Development).
4. Shri M. M. Vadi, Senior Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.
5. Shri L. R. Upasani, Director, Small Industries Service Institute, Bombay-72.
6. Representative of Indian Standard Institution, New Delhi.
7. Shri D. V. Narsimhan, Deputy Educational Adviser, (Technical Education), Ministry of Education and Youth Services.
8. Shri R. N. Kulkarni, Principal, Central Training Institute for Instructors, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation, Kurla, Bombay.
9. Dr. M. N. Desai, Industries Commissioner, Government of Maharashtra, Bombay.
10. Representative of the Federation of Association of Small Scale Industries of India, New Delhi.
11. Representative of All India Manufacturers' Organisation, Bombay.
12. Representative of the All India Instrument Dealers and Manufacturers' Association, Bombay.
13. Mr. W. F. Mason, Chief Adviser, Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Bombay.
14. Shri R. N. Gandhi, Principal Director, Institute for Design of Electrical Measuring Instruments, Bombay.

The Governing Council shall remain in Office for a period of one year in the first instance.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. BALACHANDRAN, Additional Secy.

(Department of Company Affairs)

Company Law Board

ORDER

New Delhi-1, *the* 14*th April* 1970

No. 53/1/70-*CL.II*.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Company Law Board hereby

authorises Shri M. C. John, Assistant Inspecting Officer, Bombay an officer of the Government of India, in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Company Affairs) for the purposes of the said Section 209.

H. D. PANJWANI, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

(Indian Council of Agricultural Research)

New Delhi-1, the 17th April 1970

No. 29(1)/69-*CDN(I)/ICAR*.—In continuation of this Ministry's Notification No. 29(1)/69-CDN(I)/ICAR, dated the 16th September, 1969, Dr. P. K. Sen, Dean, Faculty of Agriculture and Khaira Professor of Agriculture, University of Calcutta, Calcutta, has been nominated by the University Grants Commission as its representative on the Standing Committee for Agricultural Education of the Indian Council of Agricultural Research for the period from the 4th March, 1970 to the 7th July, 1972, *vice* Dr. R. S. Chaudhuri, Dean of Agricultural Faculty, Banaras Hindu University who has retired from the services of the University.

M. R. KOLHATKAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & YOUTH SERVICES

RESOLUTION

New Delhi, the 17th April 1970

No. F. 16(35)/69-*CA.II*(3).—The following will be the Members of the Reviewing Committee set up by the Government of India under Resolution No. F.16(35)/69-CA.II(3), dated the 19th February, 1970 to review the working of the three National Akademies and the Indian Council for Cultural Relations :

Chairman

1. Justice Shri G. D. Khosla.

Members

2. Shri Amrit Nahata M.P.
3. Prof. Hirendra Nath Mukherjee M.P.
4. Shri D. N. Tiwari M.P.
5. Shri Lokanath Misra M.P.
6. Prof. Saiyid Nurul Hasan M.P.
7. Dr. Narayana Menon, Director, National Centre for the Performing Arts, Bombay.
8. Shri Sham Lal, Editor, The Times of India.
9. Prof. A. K. Narain, Dean of the Faculty of Arts, Banaras Hindu University.
10. Shri Umashankar Joshi, Vice-Chancellor, Gujarat University.

2. The number '10' may be *substituted* for the number '14' appearing in para 1 of the aforesaid Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Department of Parliamentary Affairs, Government of India, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. B. CHANDIRAMANI, Jt. Educational Adviser

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 16th April 1970

RESOLUTION

No. 8-*PG*(28)/70.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Bombay for the year 1968-69. The salient features of the Report are reviewed below :—

2. *Financial Position*

The total income of the Port during the year amounted to Rs. 2,292.88 lakhs as against Rs. 2,548.83 lakhs of the previous year, on the basis of the revised accounting system. The shortfall of Rs. 255.95 lakhs was mainly due to the allocation of certain arrear receipts to the previous year, fall in demurrage receipts and less receipts from pilotage fees owing to fall in the number of vessels calling at the Port.

The total expenditure amounted to Rs. 1,876.07 lakhs as against Rs. 1,974.48 lakhs in the previous year on the revised basis of accounting. The shortfall in expenditure of Rs. 98.41 lakhs was mainly due to the accountal of accrued salaries and wages for March 1968 and other accrued expenses for the first time in the accounts for 1967-68, provision for old and disputed bills in 1967-68 and provision for depreciation made in 1968-69 on the historical cost basis as against the contribution to the Renewals and Replacements Fund on an ad-hoc basis in the previous year.

The balance sheet as on 31st March 1969 has been prepared in the revised form based on principles generally followed by commercial concerns in reporting their assets and liabilities. The various balances previously shown in the Capital Account on the liabilities side, together with the accumulated balances in the Renewals and Replacements and Pilotage Depreciation Funds and the General Sinking Fund, have been grouped into three new accounts, *viz.* "Capital Reserve", "Capital Asset Replacement Reserve" and "Depreciation of Capital Assets". The balances in these accounts as on 31st March 1969 were Rs. 41.26 crores, Rs. 11.42 crores and Rs. 21.94 crores respectively. The cost of capital assets as on 31st March 1969 was Rs. 72.18 crores. Other balances, which were held for general or specific purposes were (1) General Reserve Fund : Rs. 2,719.53 lakhs, (2) Fire & Motor Insurance Fund : Rs. 17.13 lakhs and (3) Pilotage Reserve Fund : Rs. 13.56 lakhs. The net balance available for further capital outlay as on 31st March, 1969 amounted to Rs. 26.29 crores.

Of the outstanding debt of Rs. 12.32 crores, the amount due to the public was Rs. 4.49 crores and to Government Rs. 6.96 crores, the balance of Rs. 0.87 crores being internal loans held by the Trustees themselves. For repayment of loans, the Trustees have built up a balance of Rs. 5.66 crores in the General Sinking Fund and Rs. 2.55 crores in a Suspense Account to repay the loan taken from Government for the Marine Oil Terminal

3. *Traffic*

The dead-weight tonnage handled at the port during 1968-69 was 16.41 million tonnes, of which Imports accounted for 12.10 million tonnes and Exports 4.31 million tonnes.

The corresponding figures of imports and exports during the previous year were 12.45 and 4.52 million tonnes respectively, totalling 16.97 million tonnes. The total traffic handled by the port was thus 0.56 million tonnes less than in the previous year.

4. *Shipping*

The number of vessels which entered the Port during the year 1968-69 was 2769 with a total gross registered tonnage of about 19 million as against 2768 vessels totalling 20 million gross registered tonnes in 1967-68. The largest vessel, which entered the Port during the year was the s.s. 'MOBILE LIBYA' with a gross tonnage of 48,909.

The number of sailing vessels which used the port during the year 1968-69 was 31,759 as against 30,963 during the year 1967-68.

During the year 1968-69, 98 vessels used the Dry Docks. The number of vessels which were berthed in the Wet Docks for repair purposes was 60.

5. *Works*

The total expenditure on Capital Account was Rs. 899.56 lakhs. The following are some of the important works on

which expenditure was incurred during the year 1968-69 :—

S No	Description	Expenditure in 1968-69
		(Rs)
1.	Constructing quarters for Class IV Staff at Old Antop Village (1,560 units) (39 Blocks) .	34,86,900
2.	Hospital for Port Trust Staff—	
	(*i*) Building . .	18,93,200
	(*ii*) Furniture, equipment etc. . .	23,71,400
3	Purchase of a twin-screw diesel-propelled Anchor Hoy-cum-Salvage and Water Boat 'Indira' to replace S. A H. 'Panwel'	23,67,100
4.	Purchase of a 125-ton Floating Crane 'Shravan' in replacement of F C 'Sarus'	24,82,000
5	Purchase of 9 tugs (4 Harbour and 5 Dock—2 large and 2 small) and 2 Nos large additional ('Ramesh' and 'Ranjit') . .	21,35,500
6.	Special repairs to Hughes Dry Dock Caissons Nos. 1 and 2. .	19,85,000
7.	Electrification of Hughes Dry Dock pumping Station . .	25,61,200
8	Dock Expansion Scheme—1962 . . .	4,37,20,300
9	Ballard Pier Extension and the Passenger-cum-Cargo Terminal Building and other Services . . .	1,13,89,200
10.	Dredging of the Main Harbour Channel (Phase III)	18,51,400

Port Trust Railway:

The volume of trunk traffic showed a decrease as compared to 1967-68 as indicated in the following tables:

	Wagons		Tonnes
	Inward	Outward	
1967-68 . .	98,459	138,403	4,342,000
1968-69 . . .	90,955	105,434	3,562,300

The results of the working of the Bombay Port Trust Railway during 1967-68 and 1968-69 are given below:

(Rupees in lakhs)

	Revenue	Expenditure	Surplus (+) Deficit(—)
1967-68 . .	191·25	259·79	(—) 68·54
1968-69 .	171·33	236 39	(—) 65·06

Because of the re-grouping of the items of income and expenditure under their revised system of accounting, the figures are not exactly comparable The financial position, however, showed a slight improvement during the year 1968-69. There was a fall of Rs 20 lakhs in the income, mainly under Terminal Charges for the year as well as relating to previous years and under sundry income, partly offset by increase under freight and haulage charges due to the revision of rates with effect from the 23rd September, 1968. The expenditure was lower by 23 lakhs, the main items being operation and maintenance of locomotives' wagons, stations, yards and sidings etc, mainly due to the accountal of wages for 13 months in the accounts of 1967-68 on account of the change-over to the revised system of accounting

7 *Turn Round of Shipping and pace of loading/unloading of vessels*

The highest number of vessels using the Docks during the year 1968-69 was 111 during the fortnight ended 31st January, 1969. The average turn-round during this fortnight was 4.2 days, as against the slowest turn-round of 6·8 days during the fortnight ended 30th June 1968 when 73 vessels used the Docks

The fastest rates of unloading and loading of vessels during the years 1967-68 and 1968-69 were as follows:—

In tonnes

	Fastest average rate per day of turn-round	
	1967-68	1968-69
Unloading (Imports)	2,971	3,003
Loading (Exports)	3,419	3,055

The cargo handled under the piece rate scheme was 119% over datum in 1968-69

8 *Estate Department*

The revenue from lands and buildings, under the jurisdiction of the Estate Department, amounted to Rs 206.72 lakhs, as against Rs 329.90 lakhs in 1967-68. The decrease was mainly due to the recovery of old arrears from private parties, adjustment of the amounts held in the 'Miscellaneous Deposit Account' and accountal of the old outstanding bills in accordance with the revised system of accounting, in the previous year.

9. *Labour*

There were 22 strikes for periods varying from a few hours in most of the cases to ten days in one case.

The Port Trust's welfare measures covered a variety of activities namely, sports, recreation, variety entertainments, excursions, scholarships, canteens, general medical attention, women's clinics, reading rooms, and libraries etc. A contribution of Rs 3.79 lakhs was made from Revenue to the Employees' Welfare Fund.

10 *Staff*

The total expenditure on staff during 1968 69 amounted to Rs 1193 91 lakhs as against Rs. 1225 41 lakhs in the previous year The decrease of Rs. 32 50 lakhs was attributable mainly to the accountal of the salaries and wages for March, 1968 payable in April, 1968 in the accounts for 1967-68.

The total expenditure on medical aid amounted to Rs. 24.93 lakhs during 1968-69 as against Rs 16.60 lakhs in the previous year

11 *Acknowledgement*

The Port Trust Board carried out another year of useful work and the Government of India view it with satisfaction.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K NARAYANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970